पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 की दीवानी विविध मामला सं. 29

==========

1. मंजूर हुसैन, पिता- महबूब हुसैन, निवासी- मोहल्ला -शाह फसाहत का मैदान, थाना - चौक, जिला- पटना।
2. महफूज़ हुसैन आरिफ, पिता- महबूब हुसैन, निवासी- मोहल्ला-शाह फसाहत का मैदान, थाना - चौक, जिला-पटना।
3. मतलुब हसन शहजादा, पिता- महबूब हुसैन, निवासी- मोहल्ला-शाह फसाहत का मैदान, थाना - चौक, जिला-पटना।

....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. मो. नज़ीर अहमद, पिता- स्वर्गीय नूर मोहम्मद, निवासी- मोहल्ला- शाह फसाहत का मैदान, थाना - चौक पटना शहर, जिला- पटना।
2. मो. खुर्शीद अनवर, निवासी मोहल्ला- शाह फसाहत का मैदान, थाना- चौक पटना शहर, जिला- पटना।
3. मो. परवेज अनवर, निवासी- मोहल्ला-शाह फसाहत का मैदान, थाना- चौक पटना शहर, जिला- पटना।
4. मो. जावेद अनवर, निवासी- मोहल्ला- शाह फसाहत का मैदान, थाना- चौक पटना शहर, जिला- पटना।
5. नौसाद अनवर अंसारी, निवासी- मोहल्ला- शाह फसाहत का मैदान, थाना- चौक पटना शहर, जिला- पटना।
6. मो. शमशाद अनवर, निवासी मोहल्ला-शाह फसाहत का मैदान, थाना-चौक पटना शहर, जिला-पटना।

7. मो. शाहनवाज अनवर, निवासी मोहल्ला-शाह फसाहत का मैदान, थाना-चौक पटना शहर, जिला-पटना।

8. शाहीन जवीन पत्नी मो. जहांगीर आलम, निवासी मोहल्ला-शाह फसाहत का मैदान, थाना - चौक पटना शहर, जिला-पटना।

9. महाजबीन नाज़, पुत्री मो. नज़ीर अहमद, निवासी मोहल्ला-शाह फसाहत का मैदान, थाना - चौकपटना शहर, जिला-पटना।

.... उत्तरदातागण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री अरविन्द कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री

==========

दीवानी प्रक्रिया संहिता---आदेश 21 नियम 29, धारा 151---निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन कार्यवाही पर स्थगन---विद्वान निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध याचिका जिसके द्वारा निष्पादन कार्यवाही पर स्थगन के लिए याचिकाकर्ताओं का आवेदन खारिज कर दिया गया था---याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क कि विद्वान निष्पादन न्यायालय को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में विवेक का प्रयोग करना चाहिए था क्योंकि याचिकाकर्ताओं का शीर्षक वाद लंबित है और यदि शीर्षक वाद के निपटारे के बिना, याचिकाकर्ताओं को निष्पादन मामले में बेदखल कर दिया जाता है, तो वे अनुचित रूप से पक्षपातपूर्ण होंगे और उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।

निष्कर्ष: वर्तमान स्थिति में संहिता के आदेश 21 नियम 29 के अंतर्गत कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि स्वामित्व वाद और निष्पादन की कार्यवाही दो अलग-अलग न्यायालयों के समक्ष लंबित है। पूर्व शर्त जिसके तहत जिस न्यायालय में वाद लंबित है, वह निष्पादन पर रोक लगा सकता है, वह यह है कि दो कार्यवाहियां एक ही न्यायालय के समक्ष लंबित होनी चाहिए। यदि न्यायालय अलग-अलग हैं, तो निष्पादन न्यायालय द्वारा रोक नहीं

लगाई जा सकती। विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। याचिका खारिज की जाती है। (पैरा- 7, 9)

(1972) 2 एससीसी 731 .....**पर भरोसा किया गया।**

2009 (2) एम.एच.एल.जे 134, एआईआर 1931 बॉम्बे 247 .....**विभेदित।**

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

मौखिक निर्णय

तारीखः 20-01-2025

यह अभिलेख याचिकाकर्ताओं की ओर से बनाए जाने का उल्लेख करते हुए लिया गया है।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना। प्रवेश के चरण में ही इस याचिका का निपटान करने का इरादा है।

3. याचिकाकर्ता निष्पादन मामला/वाद सं0 8/2017 के मामले में पटना (सिटी) के विद्वान मुन्सिफ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2023 से व्यथित हैं, जिसके तहत और जिसके तहत विद्वान निष्पादन अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा आदेश 21 नियम 29 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पढ़ा जाता है (जिसे इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित किया जाता है)।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान निष्पादन अदालत ने दूसरी अपील सं0-.325/2000 में पारित दिनांकित 11.08.2017 के फैसले में इस अदालत के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी पर विचार नहीं किया है, जिसमें यह देखा गया है कि *इस वाद मे वेदखली के लिए कोई भी निष्कर्ष दर्ज नही किया गया है।*

कानून के अनुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष किसी भी स्तर पर स्वामित्व के आधार पर वाद संपत्ति पर कब्जे के लिए मुकदमे में वाद संपत्ति पर किसी भी पक्ष के मामले या दावे पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। आगे विद्वान सलाहकार (अधिवक्ता) ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा किया, पहला **सुपर मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य एमएच.एल.जे. का 134 का 2009 (2)** में और दुसरा **नारसीदास नाथुभाई बोहरा बनाम मनहर सिंह अगर सिंह ठाकुर** में **ए.आइ.आर. 1931 बॉम्बे 247** का मे रिपोर्ट किया गया है इस बात पर जोर देने के लिए कि स्थगन देने की शक्ति विवेकाधीन है और विद्वत निष्पादन अदालत को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए था क्योंकि याचिकाकर्ताओं का स्वामित्व मुकदमा लंबित है और यदि स्वामित्व मुकदमे के निपटारे के बिना, याचिकाकर्ताओं को निष्पादन मामले में बेदखल कर दिया जाता है, तो वे अनुचित रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे और उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।

5. अभिलेख पर विचार करने और याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुति पर विचार करने के बाद, मेरी राय है कि विवादित आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विद्वान निष्पादन न्यायालय ने सभी दलीलों पर चर्चा की है और एक तर्कपूर्ण और मौखिक आदेश के साथ इसे खारिज कर दिया है।वर्तमान स्थिति में संहिता के आदेश 21 नियम 29 के तहत कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि मालिकाना हक के मुकदमे और निष्पादन की कार्यवाही दो अलग-अलग अदालतों के समक्ष लंबित है।

6. अब, संहिता का आदेश 21 नियम 29 इस प्रकार है इसके अंतर्गतः

> ***"29. डिक्री-धारक और निर्णय-देनदार के बीच लंबित मुकदमे के निष्पादन पर रोक।–***
>
> *जहां ऐसे न्यायालय की डिक्री या ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा रही डिक्री के धारक के खिलाफ किसी भी न्यायालय में मुकदमा लंबित है, वहां*

जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पारित की गई थी, न्यायालय, प्रतिभूति या अन्यथा जैसी शर्तों पर, जैसा वह उचित समझे, डिक्री के निष्पादन पर तब तक रोक लगा सकता है जब तक कि लंबित मुकदमे का निर्णय नहीं हो जाता।

बशर्ते कि यदि डिक्री धन के भुगतान के लिए है, तो न्यायालय, यदि वह प्रतिभूति की आवश्यकता के बिना रोक लगाता है, तो ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा।"

7. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक ही न्यायालय के समक्ष दो कार्यवाहियां लंबित हो सकती है।यह एक ऐसी शर्त है जिसके तहत जिस अदालत में मुकदमा लंबित है, वह लंबित मुकदमे के निपटारे तक या निष्पादन पर रोक लगा सकती है या रोक के संबंध में आदेश पारित कर सकती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शोकत हुसैन @आलिम अकरम बनाम भुनेश्वरी देवी (मृत) एल. आर.एस 0 (1972) 2 एस. सी. सी. 731 के मामले में के अनुच्छेद 6 में निम्नलिखित रूप में संसुचित किया है।

*"**6.** आदेश 21 सी. पी. सी. आम तौर पर फरमानों और आदेशों के निष्पादन से संबंधित है।उस क्रम को कई विषयों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक विषय में कई नियम हैं।पहले चार विषयों में नियम 1 से 25 शामिल हैं और पांचवें विषय, अर्थात्, निष्पादन पर रोक में चार नियम शामिल हैं, अर्थात् नियम 26 से 29।इन नियमों के अवलोकन से पता चलेगा कि पहले तीन नियम यानी नियम 26 से 28 उस अदालत की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित हैं, जिसे नियम 26 के तहत निष्पादन के लिए एक डिक्री भेजी गई है, वह अदालत उसे हस्तांतरित डिक्री के निष्पादन पर उचित समय के लिए रोक लगा सकती है ताकि न्यायालय को निर्णय-देनदार सक्षम हो सके। उस*

न्यायालय में, जिसके द्वारा डिक्री पारित की गई थी, या किसी ऐसे न्यायालय में, जिसके पास पूर्व पर अपीलीय अधिकारिता है, निष्पादन पर रोक लगाने के आदेश के लिए या डिक्री या निष्पादन से संबंधित किसी अन्य आदेश के लिए आवेदन, जो प्रथम दृष्टांत न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा किया गया हो सकता है।इसलिए यह देखा जाएगा कि नियम 26 के तहत हस्तांतरणकर्ता अदालत के पास उसके समक्ष निष्पादन पर रोक लगाने की सीमित शक्ति है। इसके अलावा, उपनियम (2) के तहत यदि निष्पादन के दौरान उसके द्वारा कोई संपत्ति जब्त की जाती है, तो वह निर्णय-देनदार द्वारा पहली बार के न्यायालय या अपीलीय न्यायालय में किए गए आवेदन के परिणाम के लंबित रहने तक संपत्ति की बहाली का आदेश भी दे सकता है।नियम 27 में कहा गया है कि नियम 26 के उप-नियम (2) के तहत की गई ऐसी कोई भी प्रतिपूर्ति निष्पादन के लिए भेजी गई डिक्री के निष्पादन में निर्णय-देनदार की संपत्ति को फिर से लेने से नहीं रोकेगी।नियम 28 में प्रावधान किया गया है कि अदालत का कोई भी आदेश जिसके द्वारा डिक्री पारित की गई थी, ऐसी डिक्री के निष्पादन के संबंध में, उस अदालत पर बाध्यकारी होगा जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई थी।और फिर हमारे पास नियम 29 है, जो एक अलग स्थिति से संबंधित है।नियम इस प्रकार हैः

"जहां ऐसे न्यायालय की डिक्री के धारक के खिलाफ किसी अदालत में मुकदमा लंबित है, उस व्यक्ति की ओर से जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई थी, अदालत, प्रतिभूति या अन्यथा जैसी शर्तों पर, जैसा वह उचित समझे, डिक्री के निष्पादन पर तब तक रोक लगा सकती है जब तक कि लंबित मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता।

नियम के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक अदालत में एक साथ दो कार्यवाहियां होनी चाहिए।एक निर्णय देनदार के खिलाफ डिक्री-धारक के कहने पर निष्पादन में कार्यवाही है और दूसरा निर्णय-देनदार के कहने पर डिक्री धारक के खिलाफ मुकदमा।यह एक ऐसी शर्त है जिसके तहत जिस अदालत में मुकदमा लंबित है, वह उसके समक्ष निष्पादन पर रोक लगा सकती है।यदि यही एकमात्र शर्त थी, तो श्री चागला अपने तर्क में सही होंगे, क्योंकि मान लिया जाता है कि निर्णय-देनदार के खिलाफ मुंसिफ प्रथम, गया के न्यायालय में डिक्री-धारक द्वारा निष्पादन की कार्यवाही चल रही थी और उस न्यायालय में डिक्री-धारक के खिलाफ निर्णय-देनदार के कहने पर एक मुकदमा भी था।लेकिन इस नियम में एक खामी है।यह पर्याप्त नहीं है कि निर्णय-देनदार द्वारा एक मुकदमा लंबित है, आगे आवश्यक है यह कि मुकदमा ऐसे न्यायालय की डिक्री के धारक के खिलाफ होना चाहिए।"इस तरह की अदालत" शब्द महत्वपूर्ण हैं। कि "ऐसे न्यायालय का अर्थ है उस नियम के संदर्भ में वह न्यायालय जिसमें मुकदमा लंबित है।दूसरे शब्दों में, मुकदमा न केवल उस अदालत में लंबित होना चाहिए, बल्कि उस अदालत के डिक्री धारक के खिलाफ भी होना चाहिए।यही नियम का स्पष्ट अर्थ प्रतीत होता है "।

8. जहाँ तक की दूसरी अपील संख्या 325/2000 में पारित इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के बारे में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क का संबंध है, इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि विद्वान निष्पादन न्यायालय निष्पादन कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए बाध्य है।आदेश का उद्देश्य केवल इस उद्देश्य के लिए था कि स्वामित्व और अधिकार के दावे का निपटारा करते समय, दूसरी अपील में की गई कोई भी टिप्पणी किसी भी पक्ष के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकती।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा स्थगन की शक्ति के संबंध में उद्धृत प्राधिकार विवेकाधीन होने के कारण, वर्तमान मामले के तथ्य ऊपर उद्धृत निर्णयों के तथ्यों से स्पष्ट रूप से अलग हैं। **सुपर मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड** (सुप्रा) के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने **2005 (1) एससीसी 705** में रिपोर्ट की गई **आत्मा राम प्रॉपर्टीज (पी) लिमिटेड बनाम फेडरल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड** के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलीय अदालत की शक्तियों और उन शर्तों पर चर्चा की है जिनके तहत उसे स्थगन देना चाहिए। स्पष्ट रूप से यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि मामला अपीलीय अदालत के समक्ष नहीं है। इसी तरह, **नारद माथुभाई वोहरा** (उपरोक्त) के मामले में, संहिता के आदेश 21 नियम 29 के तहत केवल दायरे और दायरे पर चर्चा की गई है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **शौकत हुसैन** (उपरोक्त) के मामले में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एक ही न्यायालय के समक्ष दो कार्यवाहियां होनी चाहिए, तो संहिता के आदेश 21 नियम 29 के दायरे पर कोई अस्पष्टता नहीं हो सकती है।इसके अलावा, **नरसिंह नाथूभाई वोहरा** (उपरोक्त) के मामले में, माननीय खंड पीठ ने कहा कि जिस अदालत में मुकदमा लंबित है, उसे उस नियम के तहत आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है।माननीय खंड पीठ ने यह भी माना है कि नियम में यह संकेत नही है कि आवेदन निष्पादन कार्यवाही में अदालत में किया जाना चाहिए।इसलिए, यदि अदालतें अलग हैं, तो **शौकत हुसैन** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में कि एक अदालत में एक साथ दो कार्यवाहियां होनी चाहिए, तो निष्पादन अदालत द्वारा रोक नहीं दी जा सकती थी।

10. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, मुझे नहीं लगता कि विवादित आदेश किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त है क्योंकि इसे मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद पारित किया गया है और इसलिए, इसकी पुष्टि की जाती है।

11. इसलिए, मुझे तत्काल याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।

(अरुण कुमार झा, न्यायाधीश)

वी.के.पांड्ेय

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।